SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में
2023-24

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार



लेखे एक दृष्टि में

2023-24

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2023-24 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के छब्बीसवां संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है जो सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु वार्षिक वित्तीय तथा विनियोग लेखाओं को तैयार किया गया है।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शिमला
दिनांकः 01 जनवरी 2025

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	2-3
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	3-6
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	6-9
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005..	10-12
अध्याय II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	13
2.2	राजस्व प्राप्तियां	13-15
2.3	कर राजस्व	15-17
2.4	कर वसूली में लागत	18
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान	18
2.6	सहायता-अनुदान	19
2.7	वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.)	20
2.8	लोक ऋण	20-21
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	22
3.2	राजस्व व्यय	22-24
3.3	पूंजीगत व्यय	24-26
अध्याय IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	विनियोग लेखों का सारांश 2023-24	27
4.2	विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28-29
4.4	बजट प्रावधान के साथ पुनर्विनियोजन	29-31

पृष्ठ संख्या

अध्याय V	**परिसम्पतियां तथा दायित्व**	
5.1	परिसम्पतियां	32
5.2	ऋण तथा देनदारियाँ	33
5.3	प्रतिभूतियाँ	34
अध्याय VI	**अन्य मदें**	
6.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	35
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	35
6.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	35-37
6.4	रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश	37-38
6.5	लेखों का मिलान	38
6.6	उचन्त शेषों एवं प्रेषण शेषों की स्थिति	38-39
6.7	लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति	39-40
6.8	राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली	40
6.9	रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)	40
6.10	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	40-41
6.11	राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.)	41
6.12	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	41
6.13	राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर	42
6.14	आपत्ति पुस्तिका में उचंत लेखे के तहत दर्ज/हटाये गये लेनदेन	42
6.15	एकल नोडल एजेंसी बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि	42-43

अध्याय I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रेषित किए गए खातों के आंकड़ों का मिलान, वर्गीकरण, संकलन करता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करता है। यह संकलन 18 जिला खजानों, 93 लोक निर्माण मण्डलों, (74 भवन एवं सड़कों, 08 राष्ट्रीय राजमार्ग, 06 यांत्रिक, 05 विद्युत), 69 जल शक्ति विभाग के मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारम्भिंक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों पर आधारित होता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवत्ता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वार्षिक रूप से, वित्त लेखे और विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा के बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:-

सरकारी लेखाओं की संरचना

भाग 1
समेकित निधि

कर तथा गैर -कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग 2
आकस्मिकता निधि

विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5.00 करोड़ है।

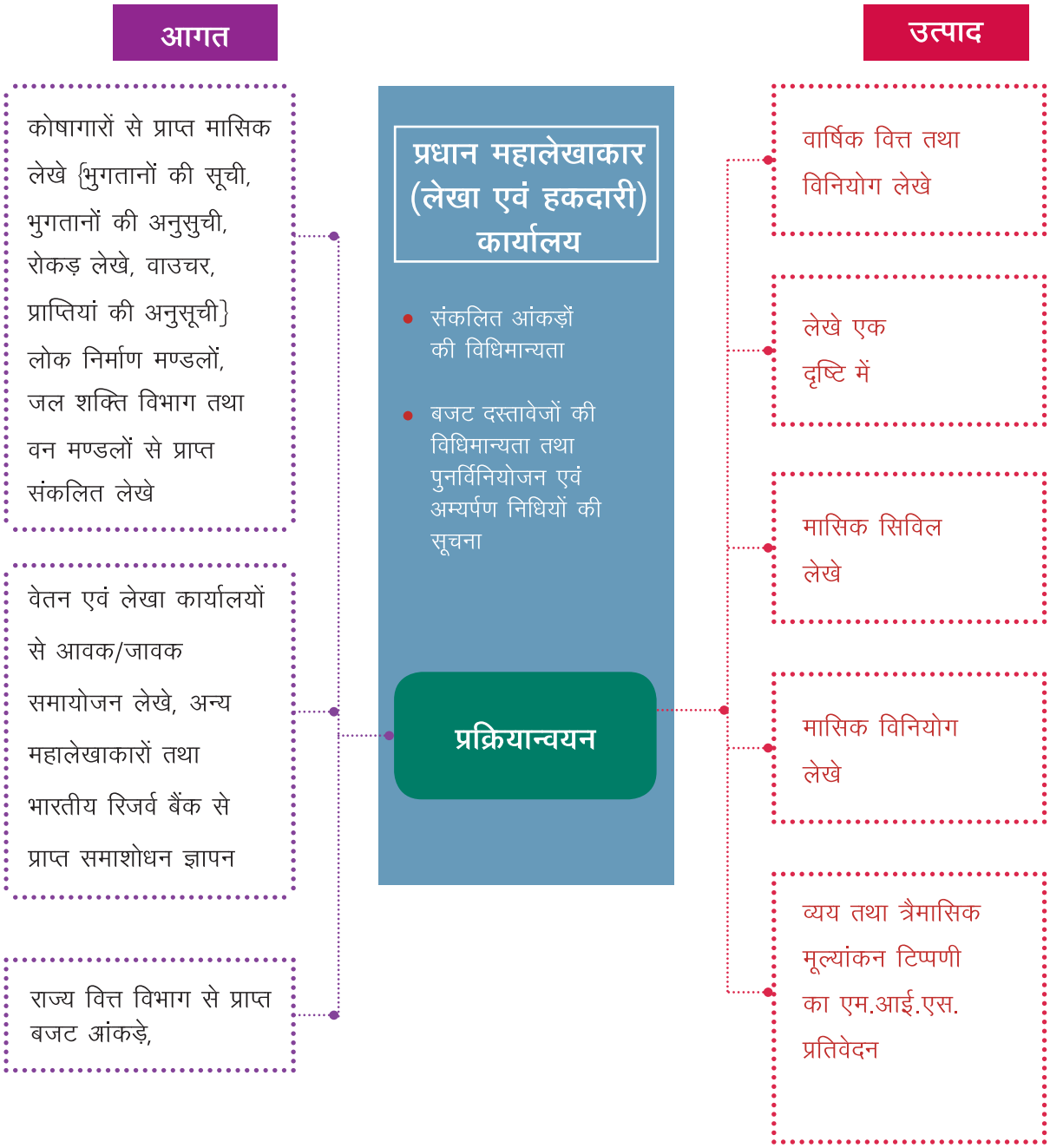
भाग 3
लोक लेखा

समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है:

लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षो में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखा संस्थाओं के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

1.2.2 लेखाओं का संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख



1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र

प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत विस्तृत विवरणियां (भाग-I) तथा परिशिष्ट (भाग-II) समावेश किया जाता है।

वित्त लेखों में आंकड़े शुद्ध आधार पर दिखाए जाते है यानी सकल व्यय माइनस वसूली और सकल प्राप्तियां माइनस वापसी जबकि विनियोग लेखों में आंकड़े सकल आधार पर दिखाए जाते है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹ 1,946 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त लेखे के खण्ड-II में परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2023-24 में वित्तीय आर्कषण

निम्न तालिका बजट अनुमानों के अनुसार, बजटीय प्राप्तियों और संवितरणों को वर्ष 2023-24 के वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों और व्यय के साथ दर्शाती है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए नियोजित और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया है।

तालिका 1.1 हिमाचल प्रदेश के वित्त का स्नैपशॉट (वर्ष 2023-24)

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0	विवरण	बजट प्राक्कलन 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता (#)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	21,936	21,210	97	10
2.	गैर कर-राजस्व	3,325	3,021	91	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	15,185	14,942	98	7
4.	*राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)*	**40,446**	**39,173**	**97**	**18**
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली**	27	27	100	---
6.	अन्य प्राप्तियां*	---	2	0	---
7.	उधार तथा अन्य दायित्व (ख)	12,295	11,266	92	5
8.	*पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)*	**12,322**	**11,295**	**92**	**5**
9.	*कुल प्राप्तियां (4+8)*	**52,768**	**50,468**	**96**	**24**
10.	*राजस्व व्यय*	**45,926**	**44,732**	**97**	**22**
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	5,658	5,648	100	2
12.	*पूंजीगत व्यय*	**6,781**	**5,630**	**83**	**3**
13.	*ऋणों तथा अग्रिम (ग)*	**61**	**106**	**175**	**---**
14.	*कुल व्यय (10+12+13)*	**52,768**	**50,468**	**96**	**24**
15.	*राजस्व घाटा (-) / राजस्व आधिक्य (+) (4-10)*	**(-)5,480**	**(-)5,559**	**101**	**(-)3**
16.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)*	**(-)12,295**	**(-)11,266**	**92**	**(-)5**
17	*प्रारम्भिक घाटा ** (16-11)*	**(-)6,636**	**(-)5,617**	**85**	**3**

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 9,375 करोड़ सम्मिलित है। राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 11,835 करोड़ थी जो कि जी.एस.डी.पी. का 6 *प्रतिशत* थी।

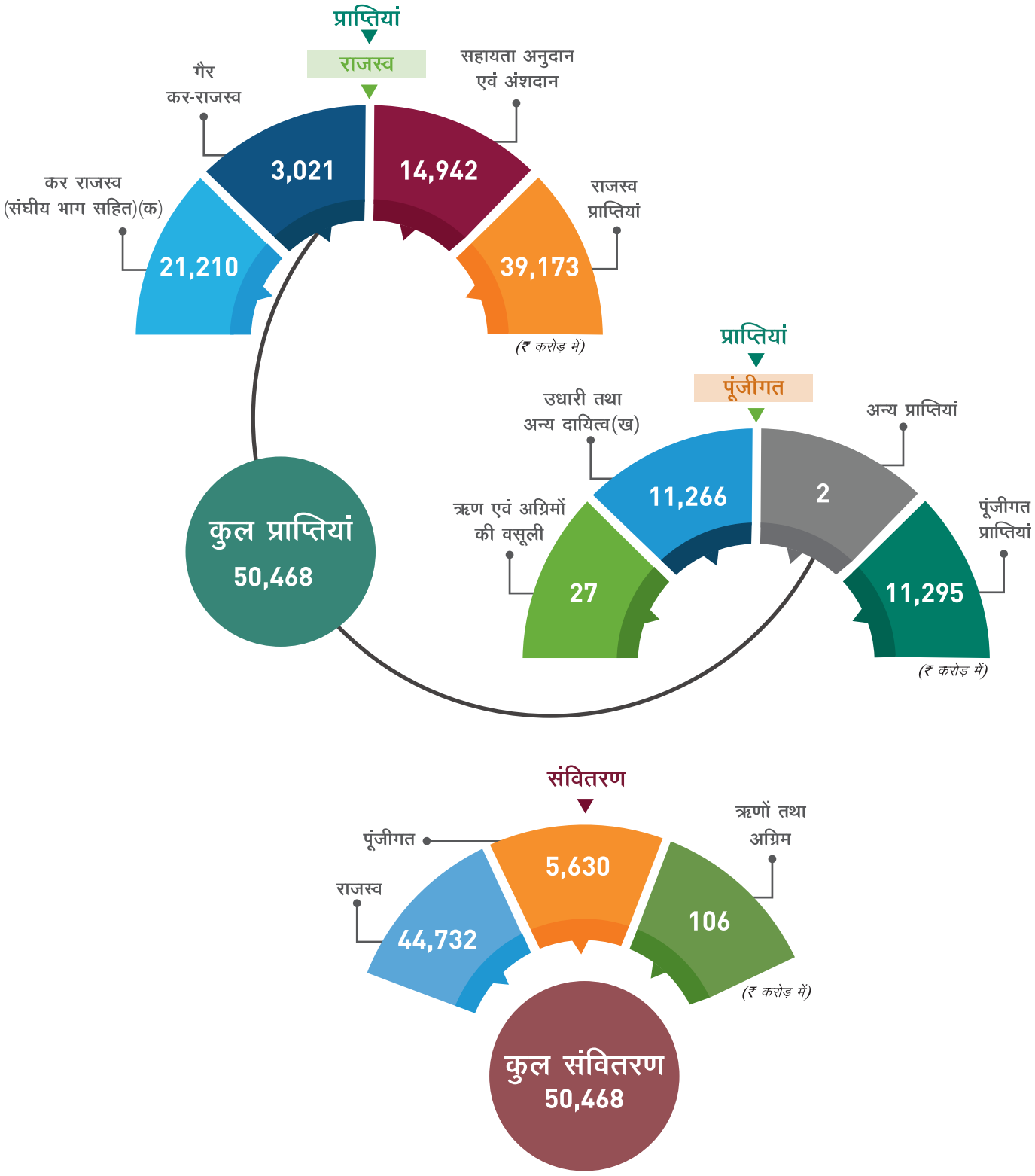
(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम रोकड़ शेष की शुद्ध राशि।

(ग) ऋण तथा अग्रिम (₹ 106 करोड़) उ राज्य योजना (₹ 106 करोड़) + केन्द्रीय योजना (---)

\# हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी. (सकल राज्य घरेलु उत्पाद) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2023-24 के लिए ₹ 2,07,430 करोड़ है।

** प्रतिशतता नगण्य थी अतः -- दर्शाया गया है।

वर्ष 2023-24 की प्राप्तियां व संवितरण



(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 9,375 करोड़ सम्मिलित है। राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 11,835 करोड़ थी जो कि जी.एस.डी.पी. का 6 *प्रतिशत* थी।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम रोकड़ शेष की शुद्ध राशि।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अनुच्छेद-204 व 205 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। 2023-24 के हिमाचल प्रदेश के बजट में 32 अनुदान थे और इन अनुदानों के तहत 18 प्रभारित विनियोजन थे। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग का वास्तविक व्यय किस सीमा तक अनुपालन करता है। विनियोग लेखों में आंकड़े सकल आधार पर दिखाए गए है।

1.3.4 बजट तैयारी में दक्षता

वर्ष के अन्त में, हिमाचल प्रदेश सरकार का वास्तविक व्यय विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट ₹ 66,991 करोड़ के सापेक्ष ₹ 62,024 करोड़ था। ₹ 6,223 करोड़ की कुल बचत और ₹ 1,256 करोड़ का व्यय आधिक्य था अतएव ₹ 4,967 करोड़ की निवल बचत हुई। ₹ 1,256 करोड़ की अधिकता 10 अनुदानों से सबंधित (i) 03- न्याय प्रशासन, (ii) 04- सामान्य प्रशासन, (iii) 05- भूमि राजस्व और जिला प्रशासन, (iv) 08- शिक्षा (v) 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (vi) 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (vii) 23- विधुत विकास (viii) 27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (ix) 28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना और आवास और (x) 29- वित्त जिन्हें नियमित करने की आवश्यकता है। जबकि प्रभारित विनियोगों में अतिरिक्त (₹ 0.02 करोड़) केवल दो अनुदानों में हुआः (i) 13-सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता और (ii) 16- वन एवं वन्य जीवन। अतिरिक्त व्यय को विधायिका द्वारा नियमित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, अनुदान संख्या 28 शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना और आवास के अन्तर्गत ₹ 27.85 करोड़ का व्यय बिना बजट प्रावधानों के किया गया। बिना बजट प्रावधान के व्यय वित्तीय नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 3,505 करोड़ की राशि अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किया गया तथा उसी वर्ष ₹ 3,505 करोड़ का पुर्नभुगतान किया गया।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट

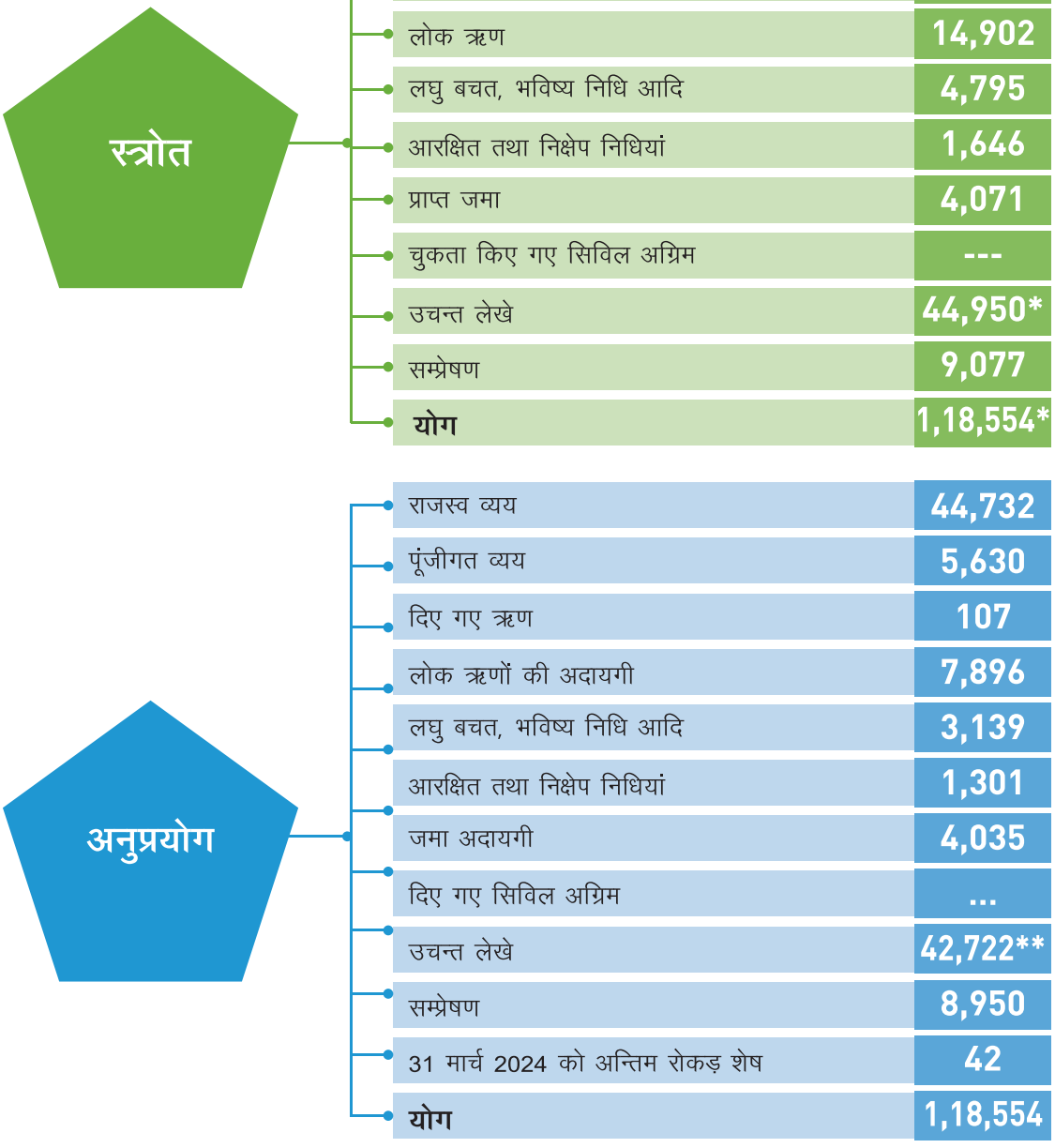
भारतीय रिजर्ब बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेष में ₹ 0.55 करोड़ से कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के पश्चात् ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 05 दिनों के लिए ₹ 876 करोड़ ओवरड्राफ्ट उठाया गया और पुर्नभुगतान किया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2024 को राज्य का राजस्व घाटा ₹ 5,559 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 11,266 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹ 7,006 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 4392 करोड़) और आदि शेष तथा अन्त रोकड़ शेष में निवल घाटा (₹ 132 करोड़) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173 करोड़) का लगभग 84 *प्रतिशत* वेतनों (₹ 15,047 करोड़), ब्याज-अदायगियों (₹ 5,648 करोड़), पैंशन (₹ 10,056 करोड़), उपदान (₹ 1,768 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 306 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

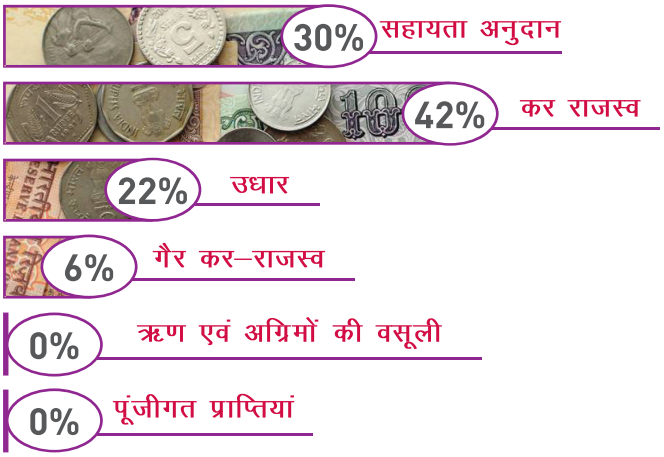


* ₹ 43,549 करोंड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

** ₹ 41,361 करोंड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

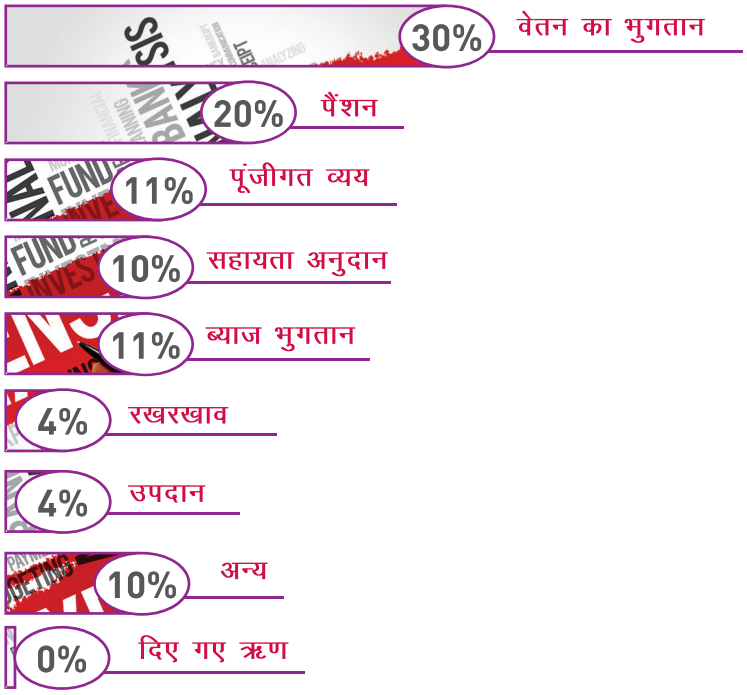
वास्तविक प्राप्तियां



(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 27 करोड़ थी और पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 2 करोड़ थी जो कि नगण्य है अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय



वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार का राजस्व घाटा ₹ 5,559 करोड़ (वर्ष 2022-23 में ₹ 6,336 करोड़ का राजस्व घाटा) तथा राजकोषीय-घाटा ₹ 11,266 करोड़ (वर्ष 2022-23 में ₹ 12,380 करोड़ का राजकोषीय-घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 3 *प्रतिशत* तथा 5 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 22 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा/ आधिक्य

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ. आर. बी. एम.) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधि में कुछ राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था।

वर्ष 2023-24 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धियां निम्नलिखित थीः-

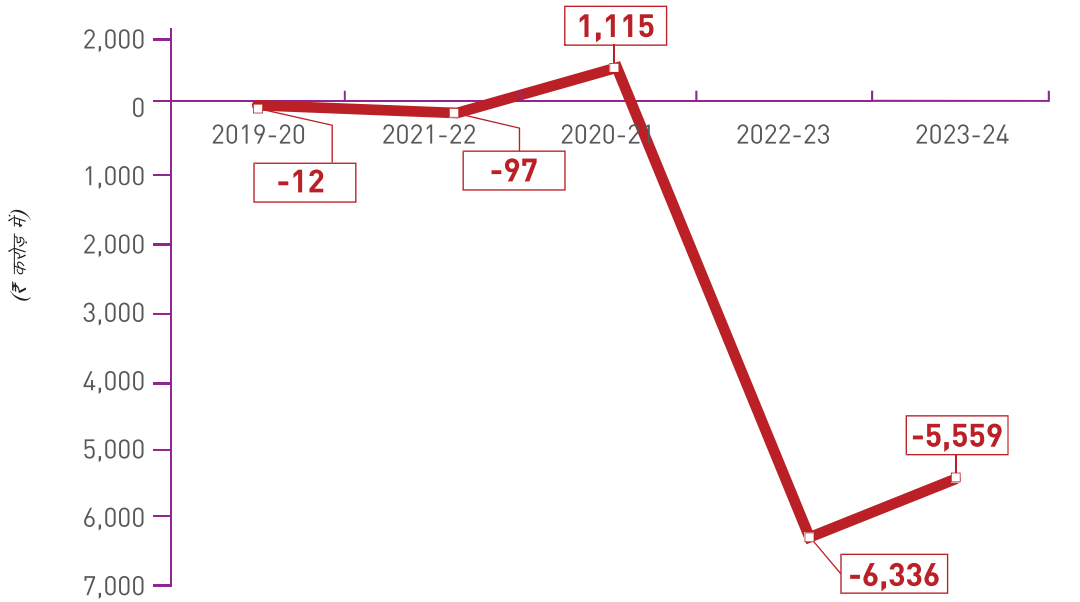
क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा (-)/ राजस्व वृद्वि (+)	(-) 5,559 *3 (प्रतिशत सकल राज्य घरेलु उत्पाद *)*	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया
2	राजकोषीय घाटा	11,266 *5 (प्रतिशत सकल राज्य घरेलु उत्पाद)*	3.5 *प्रतिशत* या कम	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया
3	बकाया प्रतिभुतियां	1,745 (पिछले वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति का 5 *प्रतिशत*)	गत वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति के 40 *प्रतिशत* से कम	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया

* हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी. (*सकल राज्य घरेलु उत्पाद*) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2023-24 के लिए ₹ 2,07,430 करोड़ है।

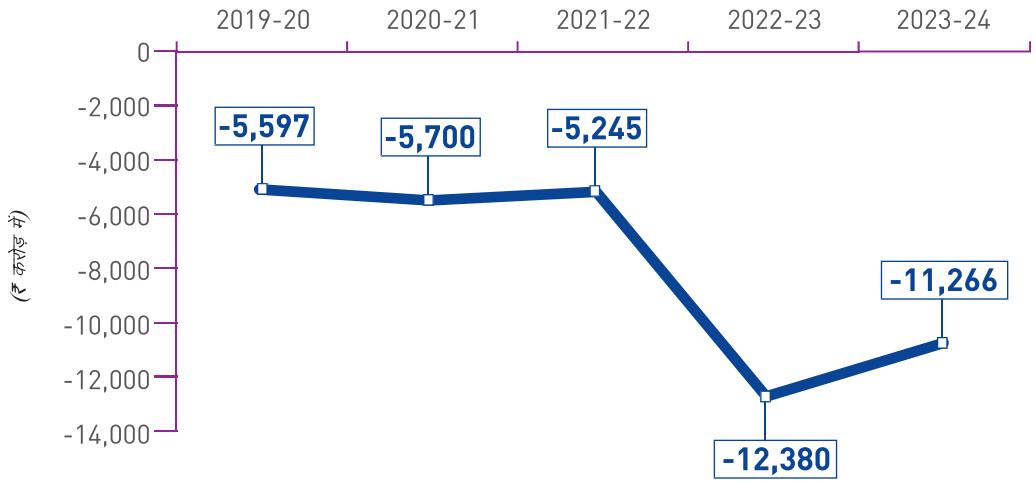
राज्य सरकार के आवश्यक उदघोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत् विवरणो को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2022-23 में राज्य की राजस्व कमी ₹ 6,336 करोड़ थी और वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 5,559 करोड़ की राजस्व कमी थी जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व आधिक्य होना चाहिए था। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा 2022-23 में ₹ 12,380 करोड़ से ₹ 1,114 करोड़ घटकर चालू वर्ष 2023-24 में ₹ 11,266 करोड़ हो गया और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5 *प्रतिशत* था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निर्धारित 3.5 *प्रतिशत* के लक्ष्य से अधिक था। यद्यपि, परादेय प्रतिभूतियों की राशि को पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होने के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। 31 मार्च 2024 को परादेय प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1,745 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष 2022-23 की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,089 करोड़) के 5 *प्रतिशत* के बराबर थी।

1.5.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान



1.5.2 राजकोषीय घाटे का रूझान

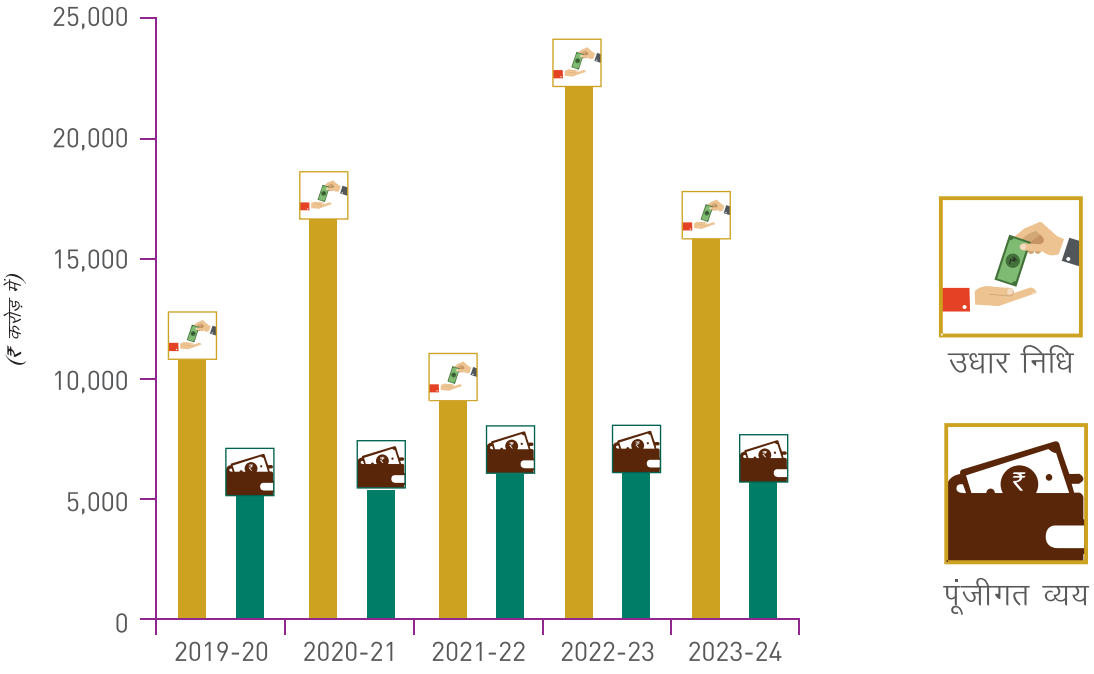


1.5.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय	कालम 3 से कालम 2 का *प्रतिशत*
1	2	3	4
2019-20	10,847	5,174	48
2020-21	16,749	5,309	32
2021-22	9,335	6,029	65
2022-23	22,372	6,029	27
2023-24	14,902*	5,630	38

* इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.नं.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।



सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ांचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है, अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके । इस प्रकार, पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल आपेक्षित है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर (₹ 5,630 करोड़) का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि (₹ 14,902 करोड़)का केवल 38 *प्रतिशत* था।

अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उधार का पिछले वर्षो के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

अध्याय II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां ₹ 50,468 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

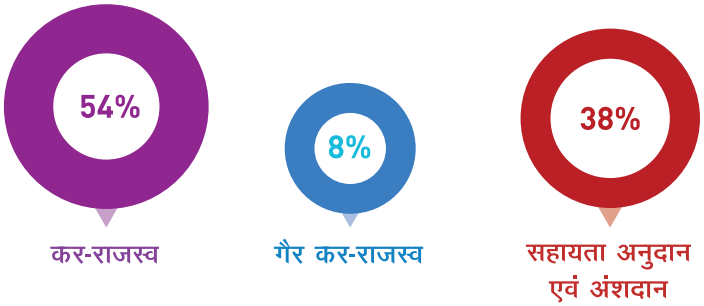
सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं:- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व — राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते है।

गैर कर-राजस्व — ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते है।

सहायता अनुदान — सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध "वैदेशिक सहायता अनुदान" भी शामिल है। बदले में, राज्य-सरकार पंचायती राज संस्थान, स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है।

राजस्व-प्राप्तियां



2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकडे	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क. कर-राजस्व *	**21,210**	**54**
माल व सेवाओं पर कर	8,185	21
आय व व्यय पर कर	6,064	15
सम्पत्ति पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	447	1
माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	6,514	17
ख. गैर कर-राजस्व	**3,021**	**8**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	317	1
सामान्य सेवाएं	354	1
सामाजिक सेवाएं	178	...
आर्थिक सेवाएं	2,172	6
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**14,942**	**38**
कुल राजस्व प्राप्तियां	**39,173**	**100**

* इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश सम्मिलित है।

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

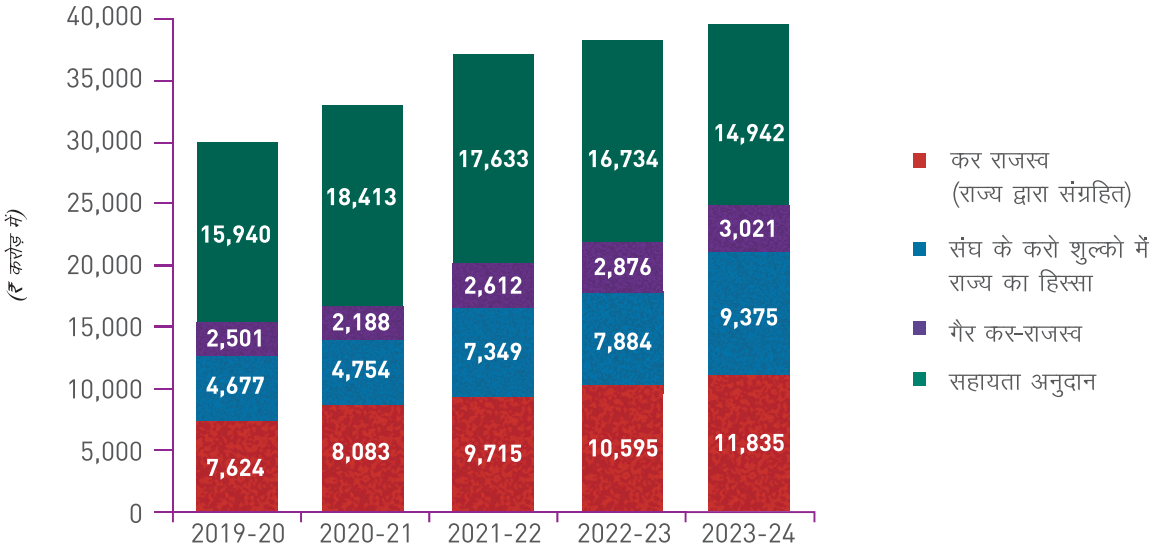
(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कर राजस्व राज्य द्वारा संग्रहित					
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	7,624 (5)	8,083 (5)	9,715 (6)	10,595 (5)	11,835 (6)
गैर कर-राजस्व	2,501 (2)	2,188 (1)	2,612 (1)	2,876 (1)	3,021 (1)
केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व					
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	4,677 (3)	4,754 (3)	7,349 (4)	7,884 (4)	9,375 (5)
सहायता अनुदान	15,940 (10)	18,413 (12)	17,633 (10)	16,734 (9)	14,942 (7)
कुल राजस्व प्राप्तियां	**30,742 (19)**	**33,438 (21)**	**37,309 (21)**	**38,089 (19)**	**39,173 (19)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,65,472**	**1,56,522**	**1,75,173**	**1,95,404**	**2,07,430**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)की प्रतिशतता को दर्शाते हैं। विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्तमान दरों पर 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलु उत्पाद के आंकड़े।

हालांकि वर्ष 2023-24 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि 3 *प्रतिशत* ही थी। राजस्व प्राप्ति में अल्प वृद्धि सहायता अनुदान में कमी के कारण थी। पिछले वर्ष के मुकाबले कर राजस्व 12 *प्रतिशत* तक बढ़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 5 *प्रतिशत* तक की वृद्धि देखी गयी लेकिन सहायता अनुदान में 11 *प्रतिशत* की कमी देखी गयी।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान



2.3 कर राजस्व

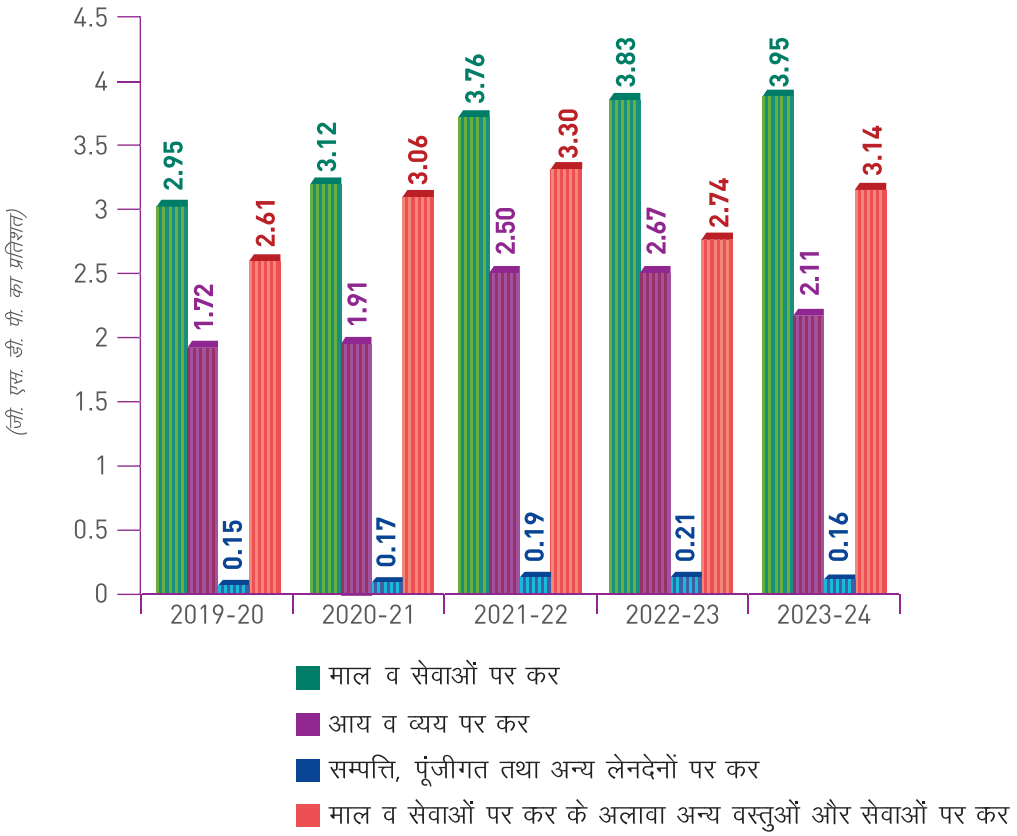
(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां				
कर	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
क. माल व सेवाओं पर कर	4,886 (3)	6,588 (4)	7,486 (4)	8,185 (4)
ख. आय व व्यय पर कर	2,894 (2)	4,372 (2)	5,225 (3)	6,064 (3)
ग. सम्पत्ति, पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	260 ---	324 ---	407 ---	447 ---
घ. माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4,797 (3)	5,780 (3)	5,361 (3)	6,514 (3)
कुल कर राजस्व	**12,837 (8)**	**17,064 (10)**	**18,479 (9)**	**21,210 (10)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,56,522**	**1,75,173**	**1,95,404**	**2,07,430**

टप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल राजस्व कर में वृद्धि मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी.(₹ 81 करोड़), सी.जी.एस.टी. (₹ 618 करोड़) में राज्य अंश की अधिक प्राप्ति, निगम कर (₹ 169 करोड़), निगम कर के अलावा अन्य आय का अधिक संग्रहण (₹ 670 करोड़) और राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 476 करोड़) है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रूझान



2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों में राज्य का अंश।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों/ शुल्क में राज्य का अंश	राज्य द्वारा निजी कर राजस्व		
			कर राजस्व	जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019-20	12,301	4,677	7,624	62	
2020-21	12,837	4,754	8,083	63	
2021-22	17,064	7,349	9,715	57	
2022-23	18,479	7,884	10,595	57	
2023-24	21,210	9,375	11,835	56	

कुल कर राजस्व में राज्य के अपने कर संग्रहण का अनुपात वर्ष 2019-20 के दौरान 62 *प्रतिशत* था जो 2020-21 में बढ़कर 63 *प्रतिशत* हो गया, उसके बाद 2021-22 व 2022-23 के दौरान घटकर 57 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2023-24 में 56 *प्रतिशत* हो गया।

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के दो स्त्रोतों की आय को तुलनात्मक दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य का निजी कर संग्रहण	7,624	8,083	9,715	10,595	11,835
संघीय करों में राज्य का अंश	4,677	4,754	7,349	7,884	9,375
कुल कर राजस्व	**12,301**	**12,837**	**17,064**	**18,479**	**21,210**

2.3.2 पिछले पाँच वर्ष के दौरान राज्य के निजीकर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर	3,550	3,467	4,482	5,259	5,340
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,169	1,630	1,592	1,370	1,754
राज्य आबकारी शुल्क	1,660	1,600	1,981	2,216	2,692
वाहनों पर कर	466	380	510	675	782
स्टांप और पंजीकरण शुल्क	260	253	319	399	440
विद्युत पर कर एवं शुल्क	101	402	394	252	369
भूमि राजस्व	5	7	5	8	7
माल एवं यात्रियों पर कर	104	84	99	69	71
अन्य कर	309	260	333	347	380
राज्य का कुल निजी कर	**7,624**	**8,083**	**9,715**	**10,595**	**11,835**

2.4 कर वसूली में लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	1,169	1,630	1,592	1,370	1,754
संग्रहण पर व्यय	35	20	29	31	37
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	3	1	2	2	2
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	1,660	1,600	1,981	2,216	2,692
संग्रहण पर व्यय	7	8	8	21	8
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.42	0.50	0.42	1	0.3
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	570	464	609	744	853
संग्रहण पर व्यय	48	48	63	97	85
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	8	10	10	13	10
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	260	253	318	399	440
संग्रहण पर व्यय	20	13	5	3	10
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	8	5	2	1	2

अन्य करों के मुकाबले वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर एवं स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रहण पर व्यय अधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (सी.जी.एस.टी.)	1,327	1,420	2,105	2,227	2,845
निगम कर	1,595	1,429	2,202	2,645	2,814
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,250	1,465	2,170	2,580	3,250
सीमा शुल्क	296	257	511	310	329
संघीय आबकारी शुल्क	206	161	266	97	124
सेवा कर	शून्य	19	88	12	2
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3	3	7	13	11
संघीय करों/शुल्क में राज्य का अंश	**4,677**	**4,754**	**7,349**	**7,884**	**9,375**
कुल कर राजस्व	**12,301**	**12,837**	**17,064**	**18,479**	**21,210**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	38	37	43	43	44

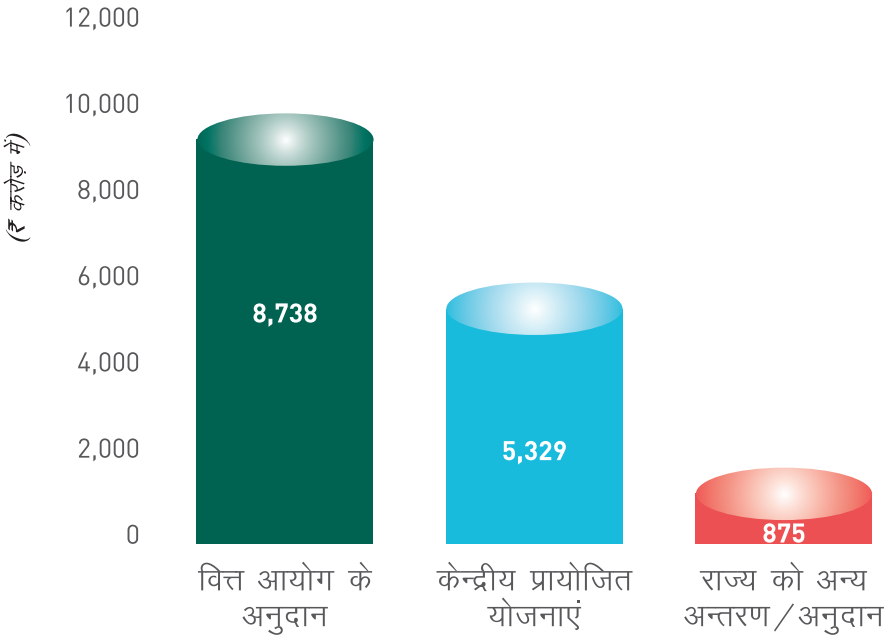
** *प्रतिशतता नगण्य थी अतः -- दर्शाया गया है।*

राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में संघ करों का हिस्सा 2019-20 में 38 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में 37 *प्रतिशत* हो गया था, लेकिन 2021-22 और 2022-23 के दौरान में बढ़कर 43 *प्रतिशत* वर्ष 2023-24 में 44 *प्रतिशत* हो गया।

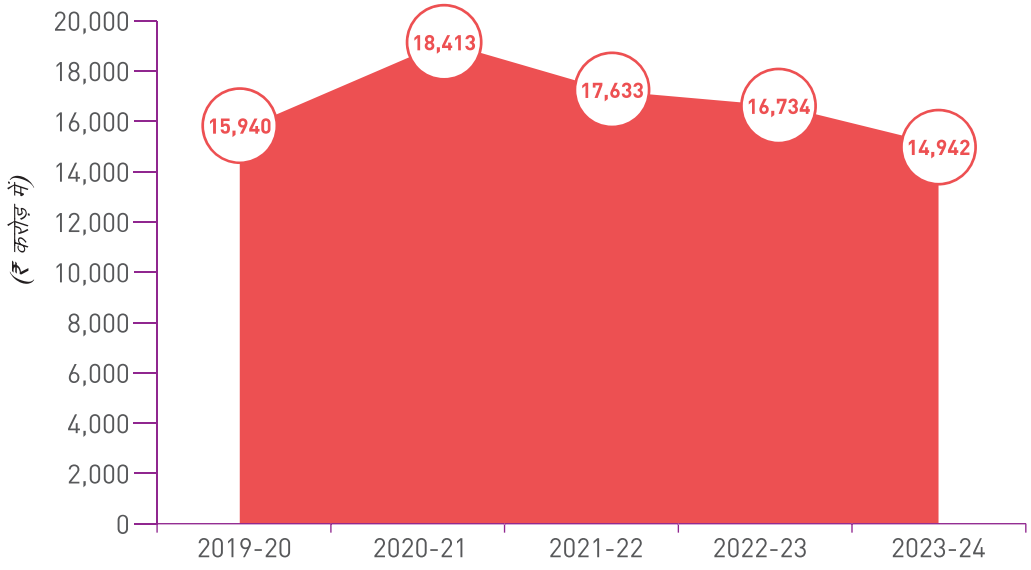
2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों, वित्त- आयोग अनुदान तथा राज्य/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश हेतु अन्य अन्तरण/अनुदान है। वर्ष 2023-24 के दौरान इन स्त्रोतों से प्राप्त सहायता-अनुदान निम्न दर्शाया गया है :-

सहायता अनुदान



सहायता अनुदान का रूझान



2023-24 के दौरान सहायता अनुदान में कमी मुख्य रूप से 'जी.एस.टी क्षतपूर्ति/शेयर में कमी ₹ 88 करोड़ (2022-23 में ₹ 1,293 करोड़)'', 'केन्द्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से अनुदान ₹ 136 करोड़ (2022-23 में ₹ 169 करोड़)'', और 'पश्च हस्तान्तरण राजस्व घाटा अनुदान' ₹ 8,058 करोड़ (2022-23 में ₹ 9,377 करोड़) के कारण थी।

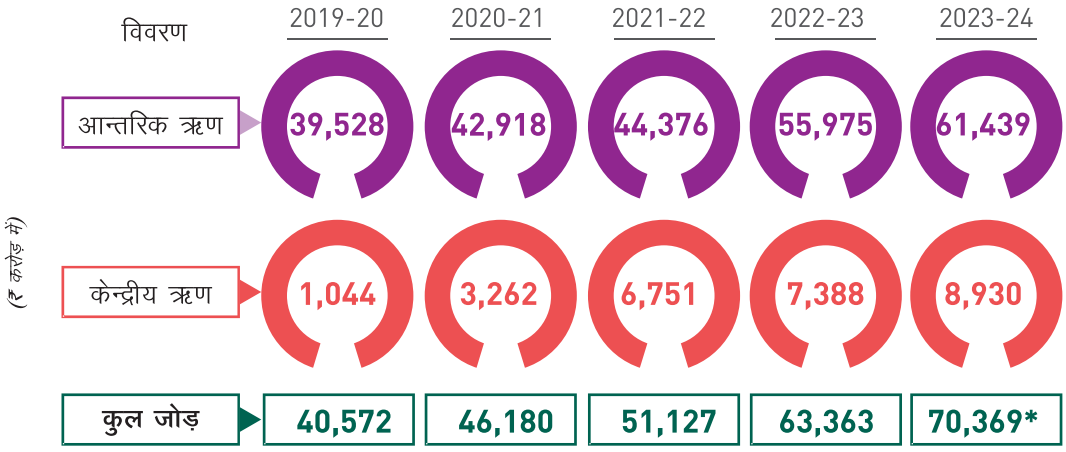
2.7 वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.)

वस्तु एंव सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। जी.एस.टी.(राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देगी।

2023-24 के दौरान राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत ₹ 5,340 करोड़ (आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के कारण (-)₹ 6,120 करोड़ सहित) प्राप्त हुए। इसके अलावा, राज्य को केंद्रीय जी.एस.टी. के तहत राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय के हिस्से के रूप में ₹ 2,845 करोड़ प्राप्त हुए। जी.एस.टी. के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 8,185 करोड़ थी। राज्य को 2023-24 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्यवन से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण ₹ 88 करोड़ का मुआवजा मिला।

2.8 लोक ऋण

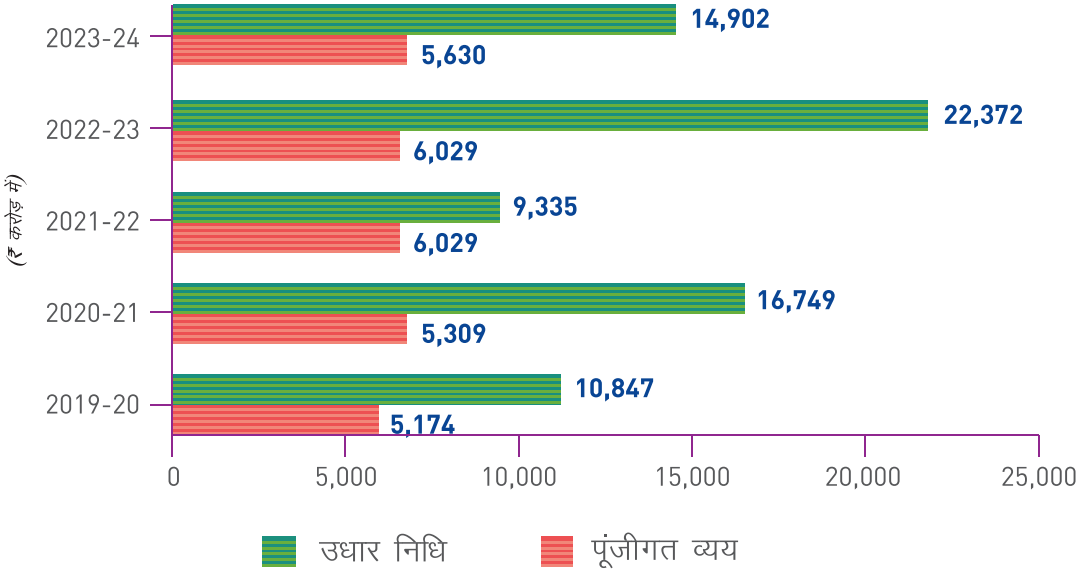
पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान:-



** इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।*

वर्ष 2023-24 में, ₹ 8,072 करोड़ के 14 ऋण 7 *प्रतिशत* से 8 प्रतिशत की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2029-2043 के बीच में प्रतिदेय है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 800 करोड़ ऋण लिए। भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 4,380 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा लिया गया कुल आन्तरिक ऋण ₹ 13,252 करोड़ था। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 1,649.15 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया है।

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना



अध्याय III

व्यय

3.1 भूमिका

2023-24 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 50,468 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में ₹ 97 करोड़ (0.19 *प्रतिशत*) की कमी हुई। 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 44,732 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 307 करोड़ (0.69 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय जो 2023-24 के दौरान ₹ 5,630 करोड़ था उसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 399 करोड़ (7 *प्रतिशत*) की कमी देखी गई।

3.2 राजस्व व्यय

विगत पाँच वर्षों में (2019-20 से 2023-24) बजट प्राक्कलनों के सापेक्ष राजस्व व्यय में कमी को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बजट प्राक्कलन	36,337	36,011	37,034	45,115	45,926
वास्तविक आंकड़े	30,730	33,535	36,195	44,425	44,732
अन्तर	(-)5,607	(-)2,476	(-)839	(-)690	(-)1,194
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	(-)15	(-)7	(-)2	(-)2	(-)3

2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का लगभग 68 *प्रतिशत* व्यय वेतन व मजदूरी (₹ 15,353 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 5,648 करोड़) तथा पैंशन (₹ 9,213 करोड़) पर किया गया जो कि राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देनदारी है।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

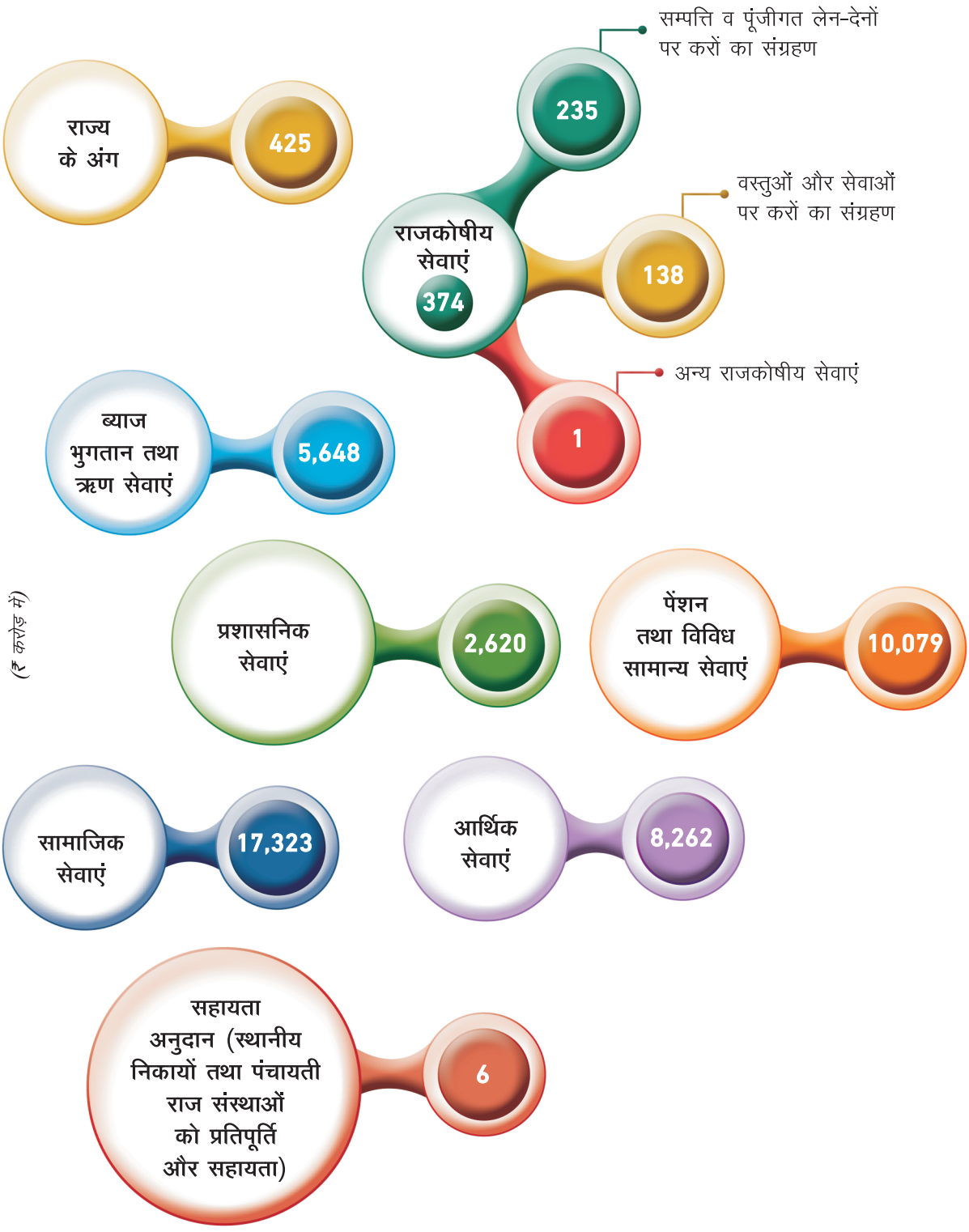
(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल राजस्व व्यय	30,730	33,535	36,195	44,425	44,732
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	22,534	23,705	24,419	31,937	30,214
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	*73*	*71*	*67*	*72*	*68*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	8,196	9,830	11,776	12,488	14,518

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन व मजदूरी, ब्याज भुगतान तथा पैंशन सम्मिलित हैं।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 8,196 करोड़ से 77 *प्रतिशत* बढकर 2023-24 में ₹ 14,518 करोड़ हो गया है। कुल राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 30,730 करोड़ से 46 *प्रतिशत* बढ़कर 2023-24 में ₹ 44,732 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 34 *प्रतिशत* का आवर्धन हुआ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2023-24)

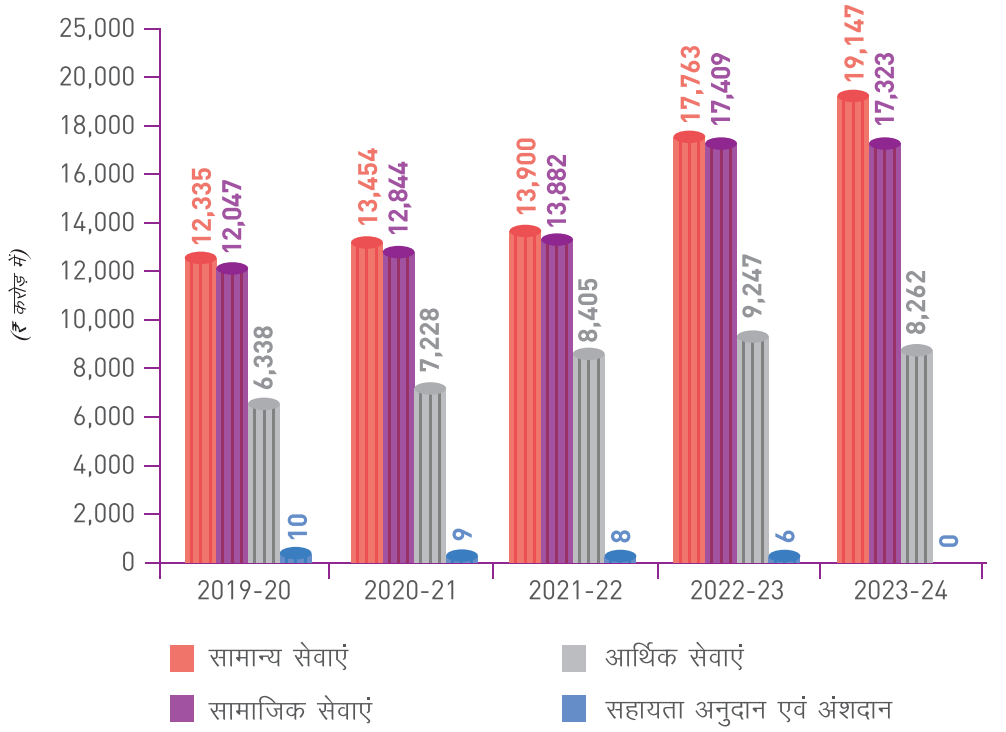


3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2019-20 से 2023-24

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएं	12,335	13,454	13,900	17,763	19,147
सामाजिक सेवाएं	12,047	12,844	13,882	17,409	17,323
आर्थिक सेवाएं	6,338	7,228	8,405	9,247	8,262
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10	9	8	6	Nil

राजस्व व्यय के मुख्य घटको का रूझान



3.3 पूंजीगत व्यय

विकास की प्रकिया को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023-24 में ₹ 5,630 करोड़ के पूंजीगत संवितरण (जी.एस.डी.पी. के 3 *प्रतिशत*) बजट प्राक्कलनों से ₹ 1,151 करोड़ से कम थे। इसे नीचे दी गयी तालिका से देखा जा सकता है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	बजट प्राक्कलन	5,943	5,692	7,099	6,311	6,781
2	वास्तविक व्यय (#)	5,174	5,309	6,029	6,029	5,630
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	87	93	85	96	83
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढौतरी की प्रतिशतता	13	3	14	...	(-)7
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,65,472	1,56,522	1,75,173	1,95,404	2,07,430
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढौतरी/कमी की प्रतिशतता	(+) 9	(-)5	(+)12	(+)12	(+)6

(#) पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2023-24 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 295 करोड़ का व्यय किया गया (₹ 0.04 करोड़ मध्यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई पर ₹ 295 करोड़)। उपरोक्त के अलावा, सरकार ने सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 2,065 करोड़ का खर्च किया तथा सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 97 करोड़, सरकारी तथा अन्य कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 95 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी समितियों के द्वारा ₹ 2 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण

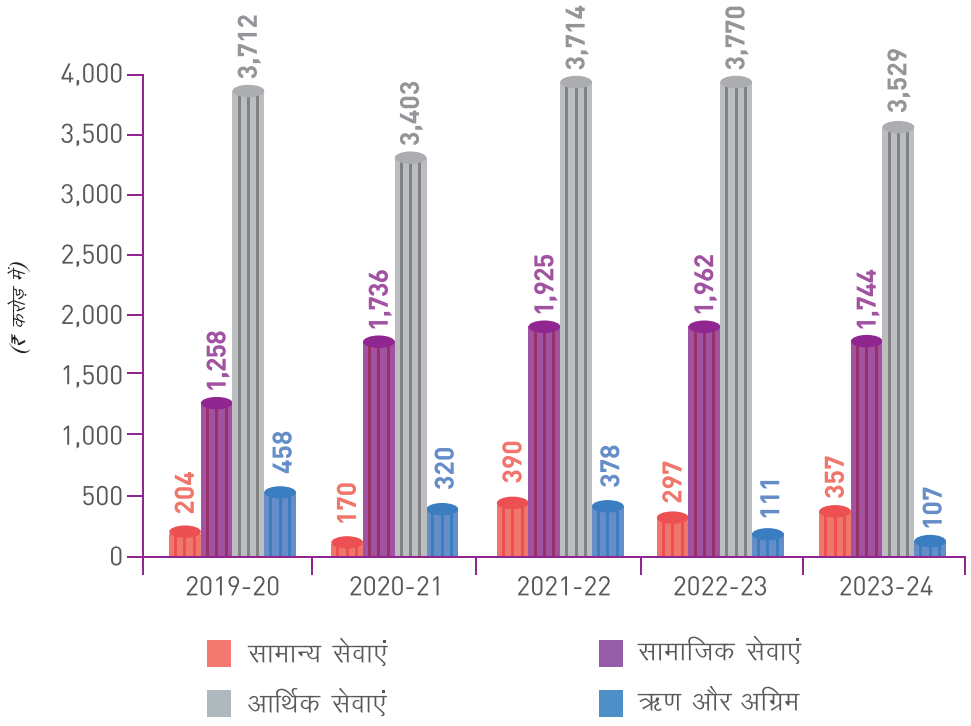
विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएं	204 (4)	170 (3)	390 (6)	297 (5)	357 (6)
सामाजिक सेवाएं	1,258 (22)	1,736 (31)	1,925 (32)	1,962 (33)	1,744 (31)
आर्थिक सेवाएं	3,712 (66)	3,403 (60)	3,714 (62)	3,770 (63)	3,529 (63)
ऋण और अग्रिम	458 (8)	320 (6)	378 (6)	111 (2)	107 (2)

टिप्पणी : कोष्ठको में आंकडे कुल पूंजीगत व्यय पर *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं।

पूंजीगत व्यय के क्षेत्रवार विवरण का रूझान



3.3.3 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
क.	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	204	170	390	297	357
		राजस्व	12,335	13,454	13,900	17,763	19,146
ख.	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	1,258	1,736	1,925	1,962	1,744
		राजस्व	12,047	12,844	13,882	17,409	17,323
ग.	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	3,712	3,403	3,714	3,769	3,529
		राजस्व	6,338	7,228	8,405	9,247	8,262
घ.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	*	*	*	*	*
		राजस्व	10	9	8	6	*

* लागू नहीं

अध्याय IV

विनियोग लेखे

4.1 विनियोग लेखों का सारांश 2023-24

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व, पूंजी, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बजट आवंटन तथा उसके सम्मुख वास्तविक व्यय की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व**						
	दत्तमत	*37,061*	*3,428*	*1,109*	*39,380*	*38,992*	*(-)388*
	प्रभारित	*5,643*	*157*	---	*5,800*	*5,739*	*(-)61*
2.	**पूंजीगत**						
	दत्तमत	5,202	*1,865*	617	*6,450*	*5,617*	(-)833
	प्रभारित	---	*15*	---	*15*	*13*	(-)2
3.	**लोक ऋण**						
	प्रभारित	5,487	3,370	---	8,857	7,896	(-)961
4.	**ऋण एवं अग्रिम**						
	दत्तमत	20	43	6	57	107	(+)50
	प्रभारित	---	...	...	...	...	...
	योग						
	दत्तमत	***42,283***	***5,336***	***1,732***	***45,887***	***44,716***	***(-)1,171***
	प्रभारित	***11,130***	***3,542***	***----***	***14,672***	***13,648***	***(-)1,024***

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान

निम्न तालिका पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व, पूंजी, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम में बचत/आधिक्य की प्रवृति को प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

बचत (-)आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2019-20	(-)703	(-)39	--	(+)45	**(-)697**
2020-21	(-)2,528	(-)386	(-)256	(-)41	**(-)3,210**
2021-22	(-)7	(-)159	--	(+)64	**(-)102**
2022-23	(-) 17	(-)175	(-)1,213	(+)15	**(-)1,390**
2023-24	(-)449	(-)835	(-)961	(+)50	**(-)2,195**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान बचत की समग्र अनुदान-वार स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	विधान सभा	1	6	4	1	2
2	राज्यपाल/मंत्री परिषद	5	4	2	1	1
3	न्याय प्रशासन	54	55	29	48	15
4	सामान्य प्रशासन	78	45	32	3	19
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	659	116	-	275	122
6	आबकारी एवं कराधान	14	2	12	13	24
7	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	233	336	245	24	64
8	शिक्षा	1,141	1,362	1,096	122	801
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	403	498	244	208	187
10	लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन	1,018	906	1,240	616	1032
11	कृषि	42	89	49	57	100
12	उद्यान	80	18	13	1	15
13	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	180	162	154	76	58
14	पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य	75	80	36	1	13
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	138	240	71	188	361
16	वन और वन्य जीवन	152	174	136	91	165
17	निर्वाचन	11	6	---	---	1
18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	120	49	19	---	16
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	114	70	50	127	145
20	ग्रामीण विकास	357	163	134	120	486
21	सहकारिता	4	3	2	---	---
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	5	30	4	---	61
23	विद्युत विकास	286	7	---	4	47
24	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2	3	2	---	4
25	सड़क एवं जल परिवहन	31	6	6	---	39
26	पर्यटन एवं नागर विमानन	85	947	545	498	224
27	श्रम, रोजगार एवं प्रक्षिण	40	123	26	20	23
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	93	101	105	66	---
29	वित्त	1,535	1,925	2,037	1,496	973
30	विभिन्न सामान्य सेवाएं	18	10	6	---	15
31	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	466	491	534	360	518
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	745	414	532	516	692

वित्त, लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन, शिक्षा, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, से संबधित अनुदान के अधीन निरन्तर और व्यापक बचत हुई थी। इससे संकेत मिलता है कि इन अनुदानों के अधीन विद्यायिका द्वारा अनुमोदित कुछ स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया गया है। यह बजट-प्राक्कलन में अनुमान से अधिक या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने हेतु सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

2023-24 के दौरान, अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ₹ 10,307 करोड़ (₹ 62,024 करोड़ कुल व्यय का 16.62 *प्रतिशत*) कुछ मामलों में अपर्याप्त सिद्ध हुई।

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
28	2217- शहरी विकास 80-सामान्य 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों, आदि को सहायता 54- नगर निगमों को अनुदान	राजस्व	0	16	160
13	4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति 01-विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति	पूंजीगत	5	135	188
05	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 051- निर्माण 05-संयुक्त कार्यालय भवन एवं मिनी सचिवालय	पूंजीगत	3	45	136
05	2217- शहरी विकास 80-सामान्य 193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समकक्ष को सहायता	राजस्व	--	31	59

4.4 बजट प्रावधान के साथ पुनर्विनियोजन

मार्च 2024 को तीन अनुदानों, अनुदान संख्या 16, 18 और 32 में पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 0.55 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। निधियों को वास्तविक/पूरक बजट अनुमानों के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। बिना प्रावधानों के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश के बजट नियमावली के पैरा 12.50 में शामिल प्रावधानों का उल्लंघन था।

नीचे उल्लिखित मामलों में विधायिका को दरकिनार कर निधियां मूल/अनुपूरक बजट के स्थान पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से सीधे आवंटित की गयी थीं।

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
16	2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी 02-पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य प्राणी 110-वन्य जीव परिरक्षण 11- परियोजना हाथी	राजस्व	0	0	0.22	0.22
18	4851- ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 101- औधोगिक संपदा 04- प्रधानमन्त्री गतिशक्ति योजना	पूंजीगत	0	0	0.05	66

कुछ उदाहरण जहां संपूर्ण बजट प्रावधान या तो वापस कर दिए गए थे या फिर से पुनविनियोजित किए गए थे निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए हैः

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
06	3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन 107- स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर 02-पंचायतों/ ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान	राजस्व	6	0	6	0
09	2210-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य- 06-जन स्वास्थ्य 200- अन्य प्रणालियाँ 05- मुख्यमन्त्री आर्शीवाद योजना	राजस्व	7	0	7	0
19	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अल्पसंख्यकों का कल्याण 102-आर्थिक विकास 01- प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम	राजस्व	20	0	20	0

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
32	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 18-प्रधानमन्त्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	राजस्व	20	0	20	0
32	5053-नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02-विमानपत्तन 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01-हेलीपैड एवं हवाई पट्टियों का निर्माण	पूंजीगत	3	0	3	0
32	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 01- पर्यटक अवसंरचना 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01- -पर्यटन विकास	पूंजीगत	159	0	159	0

अध्याय V

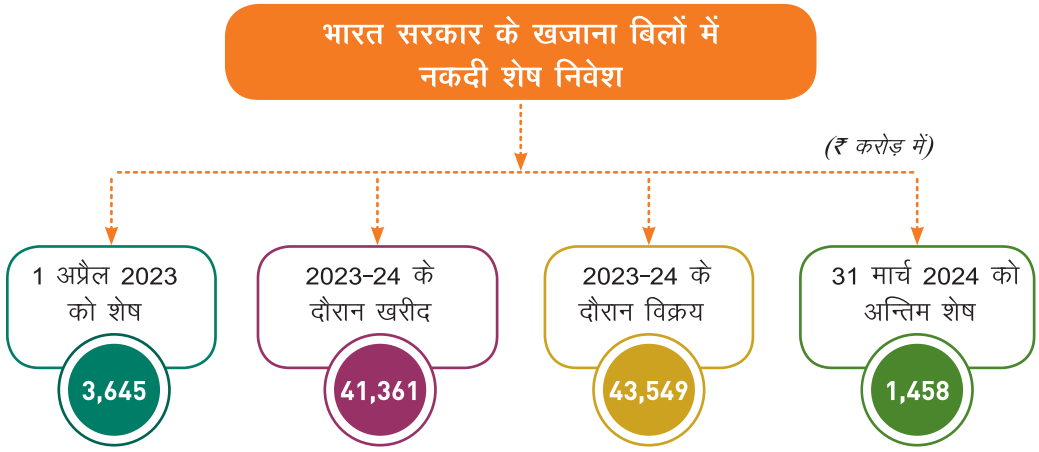
परिसम्पतियां तथा दायित्व

5.1 परिसम्पतियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अधिग्रहण खरीद के वर्ष के सिवाय, स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता। इसी प्रकार जैसा कि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिबद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते है, पर वे भावी पीढी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते।

गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश वर्ष 2023-24 के अन्त में ₹ 3,640 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान कुल निवेश पर लाभाँश ₹ 191 करोड़ (4 *प्रतिशत*) प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश में ₹ 294 करोड़ की वृद्धि हुई और लाभाँश आय में ₹ 10 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2023 को ₹ 89 करोड़ (जमा) था, जो मार्च 2024 के अन्त तक घटकर ₹ 42 करोड़ (नामे) हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 में सरकार ने 110 तात्कालिक अवसरों पर ₹ 41,361 करोड़ की राशि को 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया था तथा ₹ 43,549 करोड़ 199 अवसरों पर 14 दिनों के खजाना बिलों पर पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश की स्थिति को तालिका में दर्शाया गया है।



5.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है, कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2023-24 के लिए सीमा ₹ 9,000 करोड़ थी। इसके सम्मुख, हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹ 8,072 करोड़ की उधारी की।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	लोक लेखा*	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	कुल दायित्व	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*
2019-20	40,572	25	21,640	13	62,212	38
2020-21	46,180	28	22,702	15	68,882	43
2021-22	51,127	27	22,407	13	73,535	40
2022-23	63,363	32	23,226	12	86,589	44
2023-24	70,369**	34	25,264	12	95,633**	46

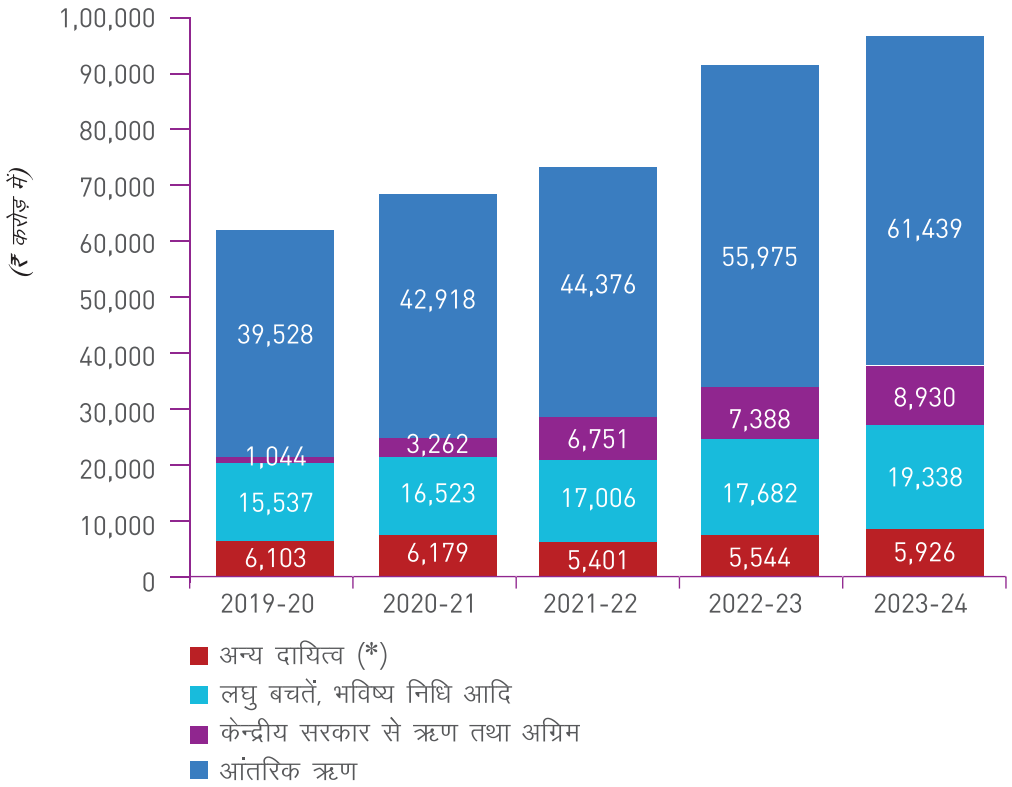
() उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित।*

*(**) इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था, हालांकि भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के अनुसार कुल देनदारियों के लिए सकल राज्य घरेलु उत्पाद के प्रतिशत की गणना करने के लिए ₹ 4,412 करोड़ की इस राशि को नजर अंदाज कर दिया गया है*

टिप्पणीः आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष से ₹ 9,044 करोड़ (10 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी दायित्वों का रूझान



() स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज तथा ब्याज रहित बाध्यताएं।*

5.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती है। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। 2019-20 से 2023-24 में वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2019-20	640	1,947*	Not available
2020-21	2,299	2,142*	-do-
2021-22	2,035	1,885*	-do-
2022-23	3,158	1,781*	-do-
2023-24	3,129	1,745*	-do-

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आहरित है

सरकार ने मूलधन व ब्याज की जानकारी अलग से नहीं दी

अध्याय VI

अन्य मदें

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते और इन्हें आंफ-बजट उधार के रूप में जाना जाता है। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही है। 31 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के लेखों में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

2023-24 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 8,132 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹ 107 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2024 के अन्त में ₹ 97 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। 2023-24 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹ 27 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹ 6 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

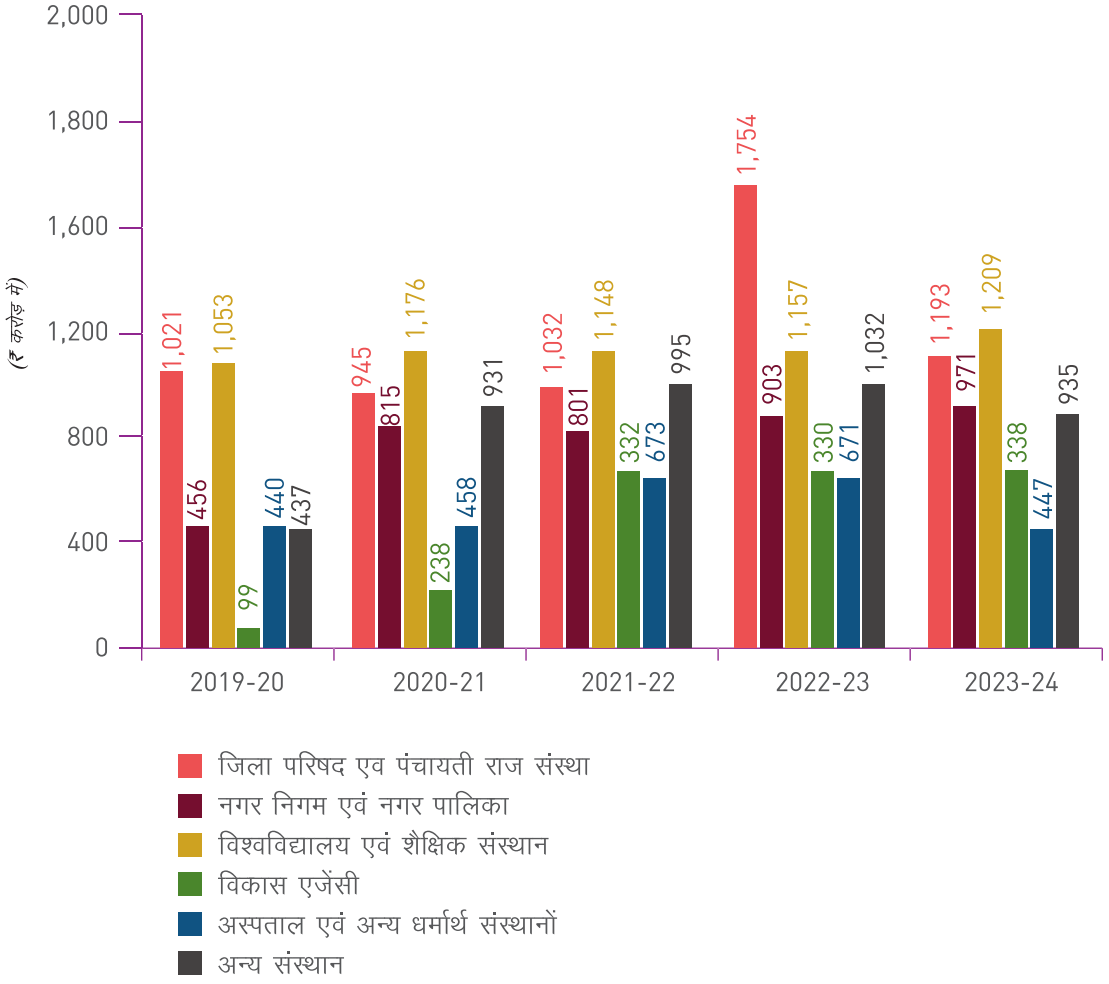
6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2019-20 में ₹ 3,506 करोड़ से बढकर 2023-24 में ₹ 5,092 करोड़ हो गया। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹ 2,164 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 42 *प्रतिशत* है।

बिगत पांच वर्षों के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थानों के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्थान	1,021	945	1,032	1,754	1,193
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	456	815	801	903	971
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	1,053	1,176	1,148	1,157	1,209
4	विकास एजेंसी	99	238	332	330	338
5	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	440	458	673	671	447
6	अन्य संस्थान	437	931	995	1,032	935
	जोड़	3,506	4,563	4,981	5,847	5,093



बिगत पांच वर्षों में पुंजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आंबटित सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्था का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	जिला परिषद	27	66	32	75	2
2	पचांयत समिति	9	66	40	75	25
3	ग्राम पंचायत	501	332	170	393	68
4	नगर निगम	41	220	228	449	478
5	नगर पालिका	67	160	139	98	184
6	शैक्षिक संस्थान	20	1	...	...	...
7	विकास एजेंसी	41	47	29	25	5
8	संविधिक निगम	12	7	...	10	...
9	सहकारी संस्थान	1	1	2	3	2
10	सामाजिक कल्याण	...	25	43	41	50
11	विश्वविद्यालय	...	1	10	11	...
12	अन्य	126	114	140	197	97
	कुल जोड़	**845**	**1,040**	**833**	**1,377**	**911**

6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2023 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति	निवल बढ़ौतरी (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-)89	42	132
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	(+)3,645	(-)1,458	(-)2,187
चिन्हित निधि शेष से निवेश	...	...	...
(क) निक्षेप निधि	...	...	...
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	...	...	...
(ग) अन्य निधियां	...	...	...
वर्ष के दौरान ब्याज वसूली	20	21	(+)01

राज्य सरकार के पास 31 मार्च 2024 के अन्त में ₹ 42 करोड़ नामे का रोकड़ शेष था। रोकड़ शेष राशि के निवेश पर ब्याज प्राप्ति 2022-23 में ₹ 20 करोड़ से ₹ 1 करोड़ बढ़कर 2023-24 में ₹ 21 करोड़ हो गई।

6.5 लेखों का मिलान

सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा बद्ध आंकड़ों के साथ सभी नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है। वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राप्तियों की राशि ₹ 39,175 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) एवं व्यय ₹ 50,361 करोड़ (कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया था।

पिछले वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की राशि ₹ 38,102 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) एवं व्यय की राशि ₹ 50,454 करोड़ (कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

6.6 उचन्त शेषों एवं प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते है। इन शीर्षों के अन्तर्गत, लम्बित शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पृथक लम्बित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए निकाला जाता है। पिछले पांच वर्षों में मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा तथा 8782-प्रेषण के अन्तर्गत उचन्त मदों का सकल नामे एवं जमा के रूप में विवरण निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(क) 8658-उचन्त लेखा										
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त	125	57	139	67	148	101	133	76	148	95
निवल	68 नामे		72 नामे		47 नामे		57 नामे		53 नामे	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	1,551	164	1,854	223	761	266	373	338	362	316
निवल	1,387 नामे		1,631 नामे		495 नामे		35 नामे		46 नामे	
107-नकद परिशोधन उचन्त लेखा	0.40	0.38	0	0	0	0	0.02	0	1.88	0
निवल	0.02 नामे		शून्य		शून्य		0.02 नामे		1.88 नामे	
109-रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	(-)0.04	0	0.42	0.37	0.05	0	0.05	0	0.05	0
निवल	0.04 जमा		0.05 नामे		0.05 नामे		0.05 नामे		0.05 नामे	
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	3,755	3,755	2	2	27	0	28	0	6	0
निवल	शून्य		शून्य		27 नामे		28 नामे		6 नामे	

111-विभागीय समायोजन लेखा	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0
निवल	शून्य		शून्य		0.10 नामे		शून्य		शून्य	
112-स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त	448	468	471	498	527	568	965	1047	939	982
निवल	20 जमा		27 जमा		41 जमा		82 जमा		43 जमा	
117-रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	0.09	0.01	0	0	0	0	0.09	0	0.09	0
निवल	0.08 नामे		शून्य		शून्य		0.09 नामे		0.09 नामे	
123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.60	0.04	0.73	0.04	0.81	0.03	0.84	0.03	0.84	0.04
निवल	0.56 नामे		0.69 नामे		0.78 नामे		0.81 नामे		0.80 नामे	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	140	224	82	219	58	293	122	385	25	354
निवल	104 जमा		137 जमा		235 जमा		263 जमा		329 जमा	
(ख) 8782 एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन										
101-कोषागारों और करेंसी चैस्ट के मध्य नगद प्रेषण	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
निवल	शून्य		शून्य		1 जमा		1 जमा		शून्य	
102-लोक निर्माण प्रेषण	7,508	8,105	6,841	7,372	6,467	7,104	8,338	8,816	8,950	9,556
निवल	597 जमा		531 जमा		637 जमा		478 जमा		606 जमा	
103-वन प्रेषण	125	142	0	17	0	17	0	17	0	17
निवल	17 जमा		17 जमा		17 जमा		17 जमा		17 जमा	

6.7 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 157 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान या संगठन को सहायता अनुदान का उपयोग के बाद सरकार को लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग पत्र क्रमांक 1-3/73-फिन (रजि.), दिनांक 28-01-1976 के अनुसार पहले दिये गए अनुदान के उचित उपयोग का तय समय में यानि अनुदान की अवधि से एक वर्ष के दौरान प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहनेवाले संस्थानों को आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए। यू.सी. प्रस्तुत ना करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखो में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक न पहुंची हो।

31 मार्च 2024 को लम्बित ₹ 279 करोड़ 2990 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र	राशि *(₹ करोड़ में)*
2022-23 तक*	1,648	1,050
2023-24*	1,342	1,745
कुल	**2,990#**	**2,795#**
वर्ष	जमा करने की नियत तारीख से पहले जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	
2023-24	5	1

** ऊपर उल्लिखित वर्ष ''नियत वर्ष'' से संबंधित है, अर्थात, वास्तविक निकासी के एक वर्ष के बाद।*
इनमें सी.एस.एस. से संबंधित ₹ 579 करोड़ की 128 बकाया यू.सी शामिल हैं।

6.8 राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 01.04.2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस) को वापस लेने की अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2024 तक 1,14,544 कर्मचारियों ने ओ.पी.एस का विकल्प चुना है और 1,364 कर्मचारी एन.पी.एस. में बने हुए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, मुख्य शीर्ष-2071 लघु शीर्ष 117 के तहत सरकार का अंशदान ₹ 94 करोड़ था और एन.पी.एस. के लिए कर्मचारियों का अंशदान ₹ 66 करोड़ था। इसमें ए.आई.एस. अधिकारियों के सम्बन्ध में योगदान भी शामिल है। सरकार ने प्रमुख शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत सार्वजनिक खाते में ₹ 160 (कर्मचारी हिस्सा ₹ 66 करोड़ और सरकार का हिस्सा ₹ 94 करोड़) हस्तांतरित किया। प्रमुख शीर्ष 8342-117 (₹ 94 करोड़) के तहत प्रदार्शित की गई परिभाषित अंशदान पेंशन योजनामें सरकार का योगदान सेवानिवृत कर्मचारी को अंतिम महीने के एन.पी.एस. अंशदान के डी.डी.ओ द्वारा सीधे भुगतान के कारण मुख्य शीर्ष 2071-01-117 (₹ 94 करोड़) के तहत दिखाई गई राशि से भिन्न है।

सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित/जमा की गई कुल राशि में से ₹ 16 करोड़ 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक खाते में रहे और एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित नहीं किए गए। सरकार का नकद शेष इस राशि से अधिक बताया गया था।

6.9 रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2024 को रोकड़ शेष ₹ 42 करोड़ (नामे) था और आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई ₹ 33 करोड़ (जमा) था। ₹ 9 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था, जिसका मुख्य कारण कोषागारों/आर.बी.आई./एजेंसी बैंक और महालेखाकार कार्यालय के बीच लंबित मिलान था। अंतर मिलान के अधीन है। पिछले वर्ष यानि 31 मार्च 2023 को स्थिति ₹ 0.02 करोड़ थी।

6.10 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो सब्याज अनुभाग के तहत है), केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 361 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 40 करोड़ है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ.के तहत निधि में ₹ 401 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 361 करोड़, राज्य अंश ₹ 40 करोड़) (वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 0.20 करोड़ का अतिरिक्त राज्य हिस्सा) हस्तांतरित किए।

इसके अलावा, केंद्र सरकार से राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए ₹ 787 करोड़,प्राप्त हुए, जिसे 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8235-125 एन.डी.आर.एफ. के तहत निधि में स्थानांतरित कर दिया गया।

मुख्य शीर्ष 2245 में ₹ 1,145 करोड़ की राशि के रूप में निर्धारित की गई थी (एस.डी.आर.एफ से ₹ 398 करोड़ और एन.डी.आर.एफ से ₹ 747 करोड़) और निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई थी। 31 मार्च 2024 को एस.डी.आर.एफ और एन.डी.आर. एफ में समापन शेष क्रमशः ₹ 58 करोड़ और ₹ 56 करोड़ था।

6.11 राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.)

राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा निर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने (मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि) अधिसूचना संख्या फिन-जी-सी (2) 05/2022, दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से एस.डी.एम.एफ बनाया है।

केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 43 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य का हिस्सा ₹ 5 करोड़ था। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130 एस.डी.एम.एफ.के तहत नामित निधि में ₹ 95 करोड़ [केंद्रीय हिस्साः ₹ 85 करोड़ (2022-23: ₹ 42 करोड़ और 2023-24: ₹ 43 करोड़) और राज्य का हिस्सा ₹ 10 करोड़ (2022-23: ₹ 5 करोड़ और 2023-24: ₹ 5 करोड़)] हस्तांतरित किया।

₹ 94 करोड़ की राशि को मुख्य शीर्ष 2245 में समायोजित किया गया था क्योंकि व्यय निधि से पूरा किया गया था और निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई था। 31 मार्च 2024 को निधि में अंतिम शेष राशि ₹ 43 करोड़ थी।

6.12 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि को लोक लेखा में सब्याज अनुभाग के तहत स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई राशि (2022-23 में ₹ 0.01 करोड़) प्राप्त नहीं हुई है। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से ₹ 308.30 करोड़ (2022-23 में कोई राशि नहीं) प्राप्त हुई।

सरकार ने निधि से ₹ 62 करोड़ का व्यय किया और वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की गई। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-129-एस.सी.ए.एफ. के तहत नामित निधि को वर्ष 2023-24 के लिए देय ₹ 54 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

31 मार्च 2024 तक राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष में शेष राशि ₹ 1,867 करोड़ थी।

6.13 राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर

(क) **भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरः**

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 48 करोड़ (2022-23ः ₹ 44 करोड़) एकत्र किए और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को ₹ 43 करोड़ (2022-23ः ₹ 42.26 करोड़) हस्तांतरित किए।

इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को मुख्य शीर्ष 8443 से अहस्तांतरित राशि ₹ 32 करोड़ थी (31 मार्च 2023 को ₹ 27 करोड़)। चूंकि यह पास थ्रू लेनदेन है, इसलिए सरकार का नकद शेष इस राशि से अधिक बताया गया था।

(ख) **अन्य उपकर/शुल्क/अधिभारः**

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 182 करोड़ (दूध उपकरः ₹ 145 करोड़, करों पर उपकरः ₹ 37 करोड़, कोविड उपकरः ₹ 0.12 करोड़, भूमि पर उपकरः ₹ 0.02 करोड़) (2022-23ः ₹ 68 करोड़) श्रम उपकर के अलावा की राशि के विभिन्न उपकर एकत्र किए। इन उपकरों के अधिनियमों/अधिसूचनाओं में राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत निधि के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

6.14 आपत्ति पुस्तिका में उचंत लेखे के तहत दर्ज/हटाये गये लेनदेन

इसके अलावा, पिछले वर्षों के आपत्ति पुस्तिका में उचंत की ₹ 40.07 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 34.94 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 5.13 करोड़) की राशि को हटा दिया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्त लेखों में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय और विनियोग लेखों में वास्तविक व्यय उस सीमा तक बढ़ाकर बताया गया है।

6.15 एकल नोडल एजेंसी बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) के तहत धन जारी करने और एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सी.एस.एस के लिए, एस.एन.ए. की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनूसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ जाती है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2023 के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ-साथ राज्य हिस्सेदारी को एस.एन.ए. खाते में स्थानांतरित कर देगी। एस.एन.ए. खाते में केंद्रीय हिस्सेदारी के हस्तांतरण में 30 दिनों से ज्यादा की देरी पर 01-04-2023 से 7 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

पी.एफ.एम.एस.की एस.एन.ए. 01 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान खजाने में केंद्राश के रूप में ₹ 3,824 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने ₹ 3,377 करोड़ केंद्र का हिस्सा और ₹ 587 करोड़ राज्य का हिस्सा एस.एन.ए. को हस्तांतरित किया। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एस.एन.ए. से प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह.) कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। एस.एन.ए.की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक, एस.एन.ए.के बैंक खातों में ₹ 1,024 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

हालाँकि, राज्य सरकार ने सूचित किया कि राज्य को अपने ट्रेजरी खाते में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 3,809 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने ₹ 3,206 करोड़ केंद्र का हिस्सा और ₹ 567 करोड़ राज्य का हिस्सा एस.एन.ए. को हस्तांतरित किया। ₹ 3,773 करोड़ का कुल हस्तांतरण फुल वाउच्ड आकस्मिक बिलों के माध्यम से किया गया। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है। 31 मार्च 2024 तक एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 1,094 करोड़ बिना खर्च किए पड़े है।

खातों में दर्ज राशि और राज्य सरकार द्वारा सूचित राशि और एस.एन.ए. रिपोर्ट में राशि के बीच आंकड़ों का अंतर समाधान के अधीन है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi